□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□: 4293
13 f□□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

□□क□□ □□ □□□□□

4293.श्र□ □□□□□□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □त्र□ यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या डॉक्टर ऑफ़ फामसी (फामा डी) के डिग्रीधारक सरकार द्वारा वित्तपोषित अत्याधुनिक सुविधाओं वाली अनेक चिकित्सा और फामास्युटिकल संस्थाओं म नैदानिक परीक्षण/नैदानिक अनुसंधान/संगठित नैदानिक परीक्षण करने के लिए पात्र हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे डिग्रीधारक निजी/कॉपरिट/स्वायत्तशासी संस्थाओं म नैदानिक परीक्षणों के क्षेत्र म रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए भी पात्र है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध म कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी को गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी संपूण ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहों, तो इसके क्या कारण है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (श्र□ □□श्वि□□ □□□□□ □□□)□

(क) से (घ): नैदानिक परीक्षण एक टीम द्वारा किए जाते ह। ड्यूटी और जिम्मेदारियों का प्रत्यायोजन उनको योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर किया जाता है। टीम के सभी सदस्यों को उत्तम नैदानिक परिपाटी (जीसीपी) म प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। एमसीआई दिशा-निदशों के अनुसार चिकित्सा को दृष्टि से योग्य व्यक्ति चिकित्सा परिचया को जिम्मेदारी ले सकता है। अपनी विशेषज्ञता यथा नैदानिक फामसी के आधार पर फामासिस्ट भारतीय फामसी परिषद के दिशानिदशों के अनुसार जिम्मेदारी ले सकता है।

....